

छात्रवृत्ति हेतु प्रमाण पत्र

(उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करते समय विद्यार्थी द्वारा आधार नम्बर एवं भामाशाह पंजीकरण नहीं करवाने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ यह प्रमाण पत्र ऑनलाईन संलग्न किया जावे)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती
निवासी
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय
तहसीलजिला राजस्थान का
निवासी है।

श्री/सुश्री/श्रीमती
शैक्षणिक सत्र 2015-16/ 2016-17 में राजकीय/मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण
संस्थान (शिक्षण संस्थान का नाम).....
तहसील जिला.....
में नियमित अध्ययनरत हैं, इस संस्थान के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी शिक्षण
संस्थान में नियमित अध्ययनरत नहीं है। इन्होंने सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति
प्राप्त करने हेतु इस शिक्षण संस्थान से ही आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त
अन्य किसी शिक्षण संस्थान से अन्य किसी भी छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति
प्राप्त करने हेतु अन्य कोई आवेदन नहीं किया है।

उक्त प्रमाण पत्र आज दिनांक को
मेरे द्वारा हस्ताक्षर एवं सील के साथ जारी किया गया।

हस्ताक्षर

नाम :

मोबाईल नं.

(संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/
प्रधान/सरपंच/महापौर/नगर परिषद/नगर पालिका अध्यक्ष)